संख्या- 86 /2026/521 /चार-2026-1914035

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 18 मार्च, 2026**

विषयः- राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह एवं भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ के परिसर में फसाड लाइटिंग का कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4373/सं0नि0-6(38)/2024-25, दिनांक 16 फरवरी, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह एवं भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ के परिसर में फसाड लाइटिंग का कार्य कराये जाने के संबंध में संशोधित आगणन उपलब्ध कराया गया है।

2. अवगत कराना है कि राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह एवं भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय,लखनऊ के परिसर में फसाड लाइटिंग का कार्य कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या-212 /2025/1102/चार-2025-1914035 दिनांक 30.03.2025 द्वारा रू0 2,05,10,286/- (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) की प्रशासकीय एवं रू0 190.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय के पक्ष में प्रदान की गई है तथा प्रश्नगत कार्य हेतु शासन के पत्र संख्या- 2255/चार-2025-1914035 दिनांक 29 जुलाई, 2025 द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि विशेष सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 26.02.2026 को सम्पन्न स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह एवं भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ के परिसर में फसाड लाइटिंग का कार्य कराये जाने के संबंध में उपलब्ध कराये गये संशोधित आगणन रू0 287.49 लाख पर समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी है।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह एवं भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ के परिसर में फसाड लाइटिंग का कार्य कराये जाने हेतु **रू0 287.49 लाख (रूपये दो करोड़ सत्तासी लाख उनचास हजार मात्र) (जी0एस0टी0 सहित)** की **संशोधित प्रशासकीय** स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में **रू0 83.09 लाख (रूपये तिरासी लाख नौ हजार मात्र)** की **वित्तीय** स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) शासनादेश संख्या-212 /2025/1102/चार-2025-1914035 दिनांक 30.03.2025 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जायेगा। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।

(3) संस्कृति निदेशालय/ भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा परियोजना के संबंध में T.P.I., निविदा लागत तथा जियोटैग फोटोग्राफ आदि शासन को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/योजनाओं पर किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित करने के बजाय आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक ही आहरित की जायेगी।

(7) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है यदि मानक के सबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ का होगा।

(8) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

(10) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अविधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(11) परियोजना हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि परियोजना निर्माण के उपरान्त गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरान्त ही नियमानुसार निर्गत की जायेगी।

(12) परियोजना निर्माण की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय का होगा। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर भौतिक निरीक्षण करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(13) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(14) संस्कृति निदेशालय द्वारा उक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था- उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि का उपयोगिता /गुणवत्ता प्रमाण पत्र आदि संस्कृति विभाग तथा संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 83,09,000/- (रुपये तिरासी लाख नौ हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 4202048005000 राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह, कैसरबाग, लखनऊ का जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।